

विषय वस्तु

खण्ड-1 : प्राथमिक व्यापारियों को शासित करनेवाली विनियमावली

1. प्राथमिक व्यापारी प्रणाली
2. प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका
3. प्राथमिक व्यापारियों के परिचालन - निधि के स्रोत और उनका प्रयोग
4. स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों द्वारा गतिविधियों का विशाखन
5. निवेश दिशानिर्देश
6. विवेकपूर्ण प्रणाली/नियंत्रण
7. स्टॉक एक्सचेंजों में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
8. दलालों के माध्यम से व्यापार
9. तैयार वायदा लेन-देनों के मानदण्ड
10. प्राथमिक व्यापारियों द्वारा संविभाग प्रबंधन सेवाएँ
11. ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर दिशानिर्देश
12. लाभांश की घोषणा पर दिशानिर्देश
13. कंपनी नियंत्रण पर दिशानिर्देश
14. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
15. अनुदेशों का उल्लंघन

खण्ड-2 : बैंक-पीडी को शासित करनेवाली विनियमावली

1. प्रस्तावना
2. प्राथमिक व्यापारियों को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया
3. प्राथमिक व्यापारियों के लिए जारी दिशानिर्देशों को लागू करना
4. बहियों और खातों का अनुरक्षण
5. पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन
6. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण

अनुबंध

- I. वचनपत्र का फार्म
- II. प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियाँ
- II(क) बैंकों द्वारा उनके प्राथमिक व्यापारी कारोबार के संबंध में प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियाँ
- III. हामीदारी योजना दर्शानेवाला उदाहरण
- IV. खजाना बिल नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों की प्रतिबद्धता दर्शानेवाला उदाहरण
- V. फार्मेट पीडीआर - I
- VI. फार्मेट पीडीआर - II
- VII. फार्मेट पीडीआर - IV
- VIII. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन
- IX. रुपया डेरिवेटिव का ब्याज दर जोखिम
- X. समेकित परिपत्रों की सूची

खण्ड-1 : प्राथमिक व्यापारियों को शासित करनेवाली विनियमावली

1. प्राथमिक व्यापारी प्रणाली

1.1. प्रस्तावना

वर्ष 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की प्रणाली लागू की जिसमें वे स्वतंत्र निकाय सम्मिलित हैं जो प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियाँ कर रहे हैं। प्राथमिक व्यापारियों की प्रणाली व्यापक आधारित बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 में बैंकों को प्राथमिक व्यापारी के कारोबार करने की अनुमति दी गई। 30 जून 2008 की स्थिति के अनुसार 9 स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी तथा 10 बैंक विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं। साथ ही, कुछ शर्तों के अधीन वर्ष 2006-07 में स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक व्यापारियों के मुख्य कार्यों के अलावा गतिविधियों का विशाखन करने की अनुमति दी गई।

1.2. प्राथमिक व्यापारी प्रणाली के उद्देश्य

प्राथमिक व्यापारी प्रणाली के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- (i) सरकारी प्रतिभूति बाजार में मूलभूत संरचना को मजबूत करना ताकि उसे संवेदनशील, अर्थसुलभ और व्यापक आधारित बनाया जा सके।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी और उनके क्रय और विक्रय क्षमता का विकास सुनिश्चित करना ताकि वे धीरे-धीरे काम शुरू कर दें।
- (iii) द्वितीयक बाजार व्यापार प्रणाली में सुधार लाना जिससे चलनिधि और कुल बिक्री में वृद्धि हो तथा व्यापक निवेशकर्ता आधार के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धारिता को प्रोत्साहन मिले।
- (iv) प्राथमिक व्यापारियों को खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) करने के लिए प्रभावी बनाया जा सके।

1.3. पात्रता शर्तें

1.3.1. निम्नलिखित संस्थान प्राथमिक व्यापारी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं :

- (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक/बैंकों के अनुषंगी वे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो मुख्यतया प्रतिभूति कारोबार तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए समर्पित हैं।
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जो मुख्यतया प्रतिभूति कारोबार तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार में कार्यरत है।
- (iii) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुमोदन से विदेश में निगमित निकायों द्वारा स्थापित अनुषंगी/संयुक्त उद्यम।
- (iv) ऐसे बैंक, वर्तमान में जिनकी कोई आंशिक अथवा पूर्व स्वामित्ववाली कोई अनुषंगी नहीं है और जो निम्नलिखित मानदण्ड पूरे करते हों :-
 - (क) 1,000 करोड़ रु. की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि।
 - (ख) 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर।
 - (ग) 3 प्रतिशत से कम निवल अनर्जक आस्तियाँ और पिछले तीन वर्ष के लिए लाभ कमाने का रिकार्ड।

1.3.2 ऐसे भारतीय बैंक जो आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः स्वामित्ववाली अनुषंगी के माध्यम से प्राथमिक व्यापारी का कार्य कर रहे हैं तथा अपनी आंशिक/पूर्णतया स्वामित्ववाली अनुषंगी शाखाओं का विलयन करके प्राथमिक व्यापारी का कार्य करने के इच्छुक हों, उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने पर ऐसा कर सकते हैं।

1.3.3. भारत में कार्यरत ऐसे विदेशी बैंक जो एक समूह संस्था द्वारा किए जा रहे प्राथमिक व्यापारी के कारोबार का विलय करके प्राथमिक व्यापारी का कारोबार शुरू करने के इच्छुक हों, उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने पर ऐसा कर सकते हैं।

1.3.4. प्राथमिक व्यापारी का कार्य शुरू करने की अनुमति हेतु आवेदन करनेवाले गैर-बैंक संस्थान, गैर-

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

1.3.5. किसी बैंक से इतर आवेदक के पास कम से कम 50 करोड़ रु. की निवल स्वाधिकृत निधि होनी चाहिए। यदि कोई प्राथमिक व्यापारी अपनी अनुमत गतिविधियों का विशाखन करने का इच्छुक है तो निवल स्वाधिकृत निधि कम से कम 100 करोड़ रु. होनी चाहिए। शुद्ध स्वाधिकृत निधि की गणना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III-ख की धारा 45-1क में दिए गए व्याख्यात्मक नोट के अनुसार की जाएगी।

1.3.6. प्राथमिक व्यापारियों को स्टेप डाउन अनुषंगी कंपनियों की स्थापना करने की अनुमति नहीं होगी।

1.4. **प्राथमिक व्यापारियों के प्राधिकरण हेतु प्रक्रिया :**

1.4.1. पात्र संस्थान को प्राथमिक व्यापारी के रूप में सूचीबद्ध किए जाने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। रिजर्व बैंक आवेदन पत्र पर विचार करने के पश्चात्, संतुष्ट होने पर "सैद्धांतिक रूप में" अपना अनुमोदन प्रदान करेगा। उसके बाद बैंक शर्तों से सहमत होने के संबंध में एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन और वचनपत्र के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। प्राथमिक व्यापारी के रूप में बने रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह प्राधिकार पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करता है।

नोट : प्राथमिक व्यापारियों को सूचीबद्ध करने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी बाजार आवश्यकताओं की समझ, आवेदक की उपयुक्तता तथा प्रणाली के साथ होनेवाले मूल्य वृद्धि के आधार पर किया जाएगा।

1.5. **प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका और दायित्व :**

प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी प्रतिभूति बाजार, उसके प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों बाजार घटकों, में सक्रिय भूमिका निभाएँ। प्राथमिक व्यापारी से यह अपेक्षा होगी कि वह एक वचनपत्र के निष्पादन (अनुबंध I) तथा प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकरण के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक स्थायी व्यवस्था करे। प्राथमिक व्यापारियों की मुख्य भूमिका और दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

(i) **प्राथमिक बाजार को समर्थन :**

प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे हामीदारी प्रतिबद्धताओं, बोली लगाने की प्रतिबद्धताओं और समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम मानदण्डों के अनुसार सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों को जारी करने के लिए नीलामी का समर्थन करें।

(ii) **सरकारी प्रतिभूतियों क्रय और विक्रय करना :**

प्राथमिक व्यापारियों को चाहिए कि वे सरकारी प्रतिभूतियों में दो तरफा मूल्य, तयशुदा लेन-देन प्रणाली-आर्डर मैचिंग, टेलीफोन बाजार काउन्टर पर तथा भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से दें और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में प्रमुख स्थिति बनाएँ।

(iii) प्राथमिक व्यापारियों के पास पर्याप्त प्रत्यक्ष मूलभूत ढाँचा और कुशल लोग होने चाहिए ताकि वे प्राथमिक मुद्दों में सक्षम भागीदारी निभा सकें, द्वितीयक बाजार में व्यापार कर सकें और निवेशकों को परामर्श देकर उन्हें शिक्षित कर सकें।

(iv) प्राथमिक व्यापारी के पास उचित तरह से कारोबार करने और व्यापार के संचालन तथा खातों के अनुरक्षण के लिए एक सक्षम आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

(v) प्राथमिक व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक को वे सभी अभिलेख, बहियाँ, सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी।

- (vi) सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में दैनिक आधार पर प्राथमिक व्यापारियों का निवेश कम से कम उनके निवल मांग नोटिस/रेपो (सीबीएलओ सहित) उधार तथा निवल भारतीय रिज़र्व बैंक उधार (चलनिधि समायोजन सुविधा, आंतर दिवस चलनिधि/चलनिधि समर्थन) तथा न्यूनतम निर्धारित निवल स्वाधिकृत निधियों के बराबर होना चाहिए।
- (vii) प्राथमिक व्यापारियों को सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों का 5 गुना तथा माह के अंत में औसत स्टॉक के खजाना बिलों के 10 गुना का न्यूनतम पण्यावर्त प्राप्त करना चाहिए। एकमुश्त सीधे लेनदेनों के संबंध में आवर्त सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के 3 गुना तथा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों के लिए द्वितीयक बाज़ार में खजाना बिलों के 6 गुना (वर्ष के दौरान माह अंत के औसत स्टॉक में कुल खरीद और बिक्री के अनुपात के रूप में गणना किया गया पण्यावर्त अनुपात) से कम न हो।
- (viii) एक प्राथमिक व्यापारी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवरणियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए।
- (ix) प्राथमिक व्यापारियों के परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण और नियामक अनुदेशों के अधीन होंगे।

1.6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों को सुविधाएँ :

वर्तमान में रिज़र्व बैंक प्राथमिक व्यापारियों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है ताकि वे अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा सकें :

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता सुविधा तक पहुँच।
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य लेज़र (एसजीएल) खाता सुविधा (सरकारी प्रतिभूतियों के लिए) तक पहुँच।
- (iii) मांग मुद्रा बाज़ार सहित मुद्रा बाज़ार में उधार लेने और देने तथा सभी मुद्रा बाज़ार लिखतों में व्यापार की अनुमति।
- (iv) इलैक्ट्रॉनिक कारोबार, व्यापार तथा समायोजन प्रणाली (एनडीएस मंच/इनफिनिट/आरटीजीएस/सीसीआइएल) की सदस्यता।
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा तक पहुँच।
- (vi) पृथक रूप से स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए अधिसूचित योजना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि समर्थन तक पहुँच।
- (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाज़ार के परिचालनों तक चुनिंदा पहुँच।
तथापि, ये सुविधाएँ समीक्षा के अधीन, बाज़ार की स्थिति और आवश्यकताओं के आधार पर होंगी।

1.7. विनियम :

- (i) प्राथमिक व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित कोई गतिविधि शुरू करने पर उन्हें पंजीकरण और सेबी द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं सहित स्टॉक एक्सचेंज के परिचालन पूरे करने होंगे।
- (ii) प्राथमिक व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) और निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और डेरिवेटिव्स संघ के सदस्य बनें तथा उनके द्वारा तैयार की गई आचार संहिता और प्रतिभूति बाज़ार के हितार्थ उनके द्वारा की गई अन्य किसी कार्रवाई का पालन करें।
- (iii) सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के संबंध में, प्राथमिक व्यापारी के पास उसकी अपनी स्थिति और लेन-देनों के संबंध में अलग डेस्क होना चाहिए और उसे खातों का अलग से अनुरक्षण करना चाहिए तथा वार्षिक खाते बाहरी एजेंसियों द्वारा लेखा परीक्षण के अधीन होने चाहिए।
- (iv) प्राथमिक व्यापारी के शेयर होल्डिंग स्वरूप/पूँजी ढाँचे में परिवर्तन होने पर उसे भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए। प्राथमिक व्यापारी के कारोबार प्रोफाइल, संगठन इत्यादि में कोई ऐसा परिवर्तन होने पर, जिससे उसका पीडी लाइसेंस

प्रभावित होता हो, भारतीय रिजर्व बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए ।

- (v) प्राथमिक व्यापारी को अपने विरुद्ध किसी बड़ी शिकायत अथवा स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अनुवर्तन निदेशालय, आयकर इत्यादि प्राधिकरणों द्वारा उसके विरुद्ध की गई /आरंभ की गई कार्रवाई की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को देनी चाहिए ।
- (vi) भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से कोई प्राथमिक व्यापारी यदि संबंधित संस्थान प्राधिकरण की शर्तों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो उसके पास उस प्राथमिक व्यापारी की अनुमति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।

1.8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण :

1.8.1. अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण :

प्राथमिक व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्धारित आवधिक विवरणियाँ नियमित रूप से भेजें। ऐसी विवरणियों की अद्यतन सूची, उनकी आवधिकता इत्यादि अनुबंध II में दी गई है ।

1.8.2. स्थल पर निरीक्षण :

भारतीय रिजर्व बैंक को किसी प्राधिकृत प्राथमिक व्यापारी की बहियाँ,रिकॉर्ड, दस्तावेज और खातों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे सभी दस्तावेज,रिकॉर्ड आदि और सभी प्रकार की आवश्यक सहायता भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों को, जब भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराएँ ।

2. प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका :

प्राथमिक व्यापारी प्रणाली के उद्देश्यों के साथ-साथ प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तथा केन्द्र सरकार के खजाना बिलों के प्राथमिक निर्गमों का समर्थन दिनांकित प्रतिभूतियों की हामीदारी तथा हामीदारी/बोली लगाने की प्रतिबद्धताओं तथा सफलता अनुपात को पूरा करने के माध्यम से करें । संबंधित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :-

2.1. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी

2.1.1. केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ

- (i) केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों पर हामीदारी वचनबद्धता दो भागों में विभक्त हो जाएगी - (i) न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) और (ii) अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी वचनबद्धता (एसीयू) ।
- (ii) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के एम यू सी की गणना यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि सभी एमयूसी की समग्र अधिसूचित राशि में प्रत्येक निर्गम का कम से कम 50% आवश्यक रूप से बराबर हामीदारी में कवर किया जाता है, चाहे उनकी पूंजी अथवा तुलन पत्र का आकार कुछ भी हो । अधिसूचित राशि का शेष भाग अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी नीलामी के माध्यम से हामीदारी के लिए होगा ।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए एमयूसी घोषित करेगा जिसके लिए एसीयू हामीदारी नीलामी होगी । प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी को एसीयू हामीदारी नीलामी में एमयूसी के हिस्से के बराबर बोली लगानी होगी ।
- (iv) नीलामी एकसमान मूल्य आधार अथवा बहु मूल्य आधार पर होगी; यह बाजार की स्थिति और अन्य संबंधित घटकों पर निर्भर करेगा तथा इसकी घोषणा प्रत्येक निर्गम के लिए हामीदारी नीलामी से पहले की जाएगी ।
- (v) प्राथमिक व्यापारियों द्वारा बोलियाँ निर्धारित अवधि के भीतर लगाई जाएँगी तथा उनमें हामीदारी वचनबद्धता और हामीदारी कमीशन दर, दोनों का उल्लेख होगा। कोई

प्राथमिक व्यापारी हामीदारी के लिए एक से अधिक बोलियाँ लगा सकता है। हामीदारी के लिए प्रस्तुत बोलियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक कमीशन की अधिकतम राशि निर्धारित करेगा और प्राथमिक व्यापारियों को सूचित करेगा।

- (vi) एमयूसी नीलामी के सभी सफल बोली लगानेवालों को नीलामी के नियमों के अनुसार एसीयू घटक पर हामीदारी कमीशन दी जाएगी। वे प्राथमिक व्यापारी जो एसीयू के लिए 4 प्रतिशत तथा निर्गम की अधिसूचित राशि से अधिक में सफल होते हैं, अपने एमसीयू (3 प्रतिशत) पर, एसीयू में स्वीकार की गई सभी बोलियों के भारित औसत पर कमीशन प्राप्त करेंगे। अन्य प्राथमिक व्यापारियों को एमयूसी में 3 प्रतिशत पर कमीशन एसीयू में उनकी तीन न्यूनतम बोलियों के भारित औसत दर पर मिलेगा।
- (vii) भारत सरकार की प्रतिभूति नीलामी में प्राथमिक व्यापारी को उस राशि की बोली लगानी चाहिए जो एसीयू और एमयूसी में सफल राशि से कम न हो। यदि एक ही दिन दो या दो से अधिक निर्गमों के लिए बोलियाँ लगाई जानी हैं तो प्रत्येक निर्गम के लिए न्यूनतम बोली राशि अलग अलग लागू होगी।
- (viii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हामीदारी के लिए स्वीकृत राशि पर प्रतिभूति जारी करने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई के पास अनुरक्षित संबंधित प्राथमिक व्यापारी के चालू खाते में जमा करके हामीदारी कमीशन अदा की जाएगी, चाहे अंतरण की राशि कुछ भी हो।
- (ix) अंतरण के मामले में प्राथमिक व्यापारियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी स्वीकृत हामीदारी वचनबद्धता की तुलना में नीलामी में स्वीकृत बोलियों की हानि की पूर्ति करने की अनुमति होगी। प्राथमिक व्यापारियों में प्रतिभूतियों का अंतरण, यदि कोई हो तो, यथानुपाती आधार पर होगा तथा यह नीलामी में सफल बोलियों की हानि की पूर्ति के बाद प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी की हामीदारी देयता की राशि पर निर्भर करेगा।
- (x) भारतीय रिजर्व बैंक को अधिसूचित राशि के 100 प्रतिशत तक हामीदारी की कोई भी राशि स्वीकार करने अथवा हामीदारी के लिए प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत बोलियों को, बिना कारण बताए, अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- (xi) हामीदारी प्रक्रिया से संबंधित उदाहरण अनुबंध III में दिया गया है।

2.1.2. राज्य सरकारों की दिनांकित प्रतिभूतियाँ:

- (i) नीलाम की जाने वाली राज्य सरकारों की दिनांकित प्रतिभूतियों की अधिसूचित राशि की नीलामी घोषित होने पर भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे किसी भी निर्गम के संबंध में राज्य विकास ऋणों की अधिसूचित राशि के 100 प्रतिशत तक हामीदारी की सामूहिक बोली हेतु प्राथमिक व्यापारियों को आमंत्रित करेगा।
- (ii) कोई प्राथमिक व्यापारी किसी निर्गम की अधिसूचित राशि के 30 प्रतिशत तक हामीदारी की बोली लगा सकता है। दो या दो से अधिक निर्गम एक ही दिन जारी किए जाने हों तो अधिसूचित राशि पर अलग अलग 30 प्रतिशत की सीमा लागू होगी।
- (iii) प्राथमिक व्यापारियों द्वारा बोलियाँ निर्धारित अवधि में ही लगाई जाएंगी जिसमें हामीदारी वचनबद्धता और हामीदारी कमीशन दरें, दोनों का उल्लेख होगा। प्राथमिक व्यापारी हामीदारी के लिए एक से अधिक बोलियाँ लगा सकता है।
- (iv) हामीदारी के लिए प्रस्तुत बोलियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक कमीशन की अधिकतम दर और बोली स्वीकार की जाने वाली हामीदारी राशि तय करेगा और प्राथमिक व्यापारियों को सूचित करेगा।
- (v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिसूचित राशि के 100 प्रतिशत तक हामीदारी राशि को स्वीकार करने अथवा हामीदारी के लिए प्राथमिक व्यापारियों द्वारा लगाई गई बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (vi) अंतरण के मामले में प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति होगी कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत अपनी हामीदारी वचनबद्धता हेतु नीलामी में स्वीकृत बोलियों की हानि की पूर्ति कर लें। प्राथमिक व्यापारियों में प्रतिभूतियों का अंतरण, यदि कोई हो तो,

यथानुपाती आधार पर होगा तथा यह नीलामी में सफल बोलियों की हानि की पूर्ति के बाद प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी की हामीदारी देयता की राशि पर निर्भर करेगा।

- (vii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हामीदारी के लिए स्वीकृत राशि पर प्रतिभूति जारी करने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई के पास अनुरक्षित संबंधित प्राथमिक व्यापारी के चालू खाते में जमा करके हामीदारी कमीशन अदा की जाएगी, चाहे अंतरण की राशि कुछ भी हो।

2.2. खजाना बिलों की प्राथमिक नीलामी में बोली :

- (i) वर्ष के आरंभ में प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी प्रत्येक नीलामी में खजाना बिलों की अधिसूचित राशि की निर्धारित प्रतिशतता के लिए बोली लगाएगा।
- (ii) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम बोली की वचनबद्धता राशि / प्रतिशतता प्राथमिक व्यापारी से परामर्श करके रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी। बोली वचनबद्धताओं को अंतिम रूप देते समय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारी की निवल स्वाधिकृत निधियाँ, उसके द्वारा लगाई गई बोली, उसका पिछला कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड और निर्धारित सफल अनुपात में उसका पिछला अनुपालन देखा जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशि/ प्रतिशतता पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अथवा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बोली वचनबद्धता, जो भी बाद में हो, तक अपरिवर्तित रहेगी।
- (iii) यदि कोई प्राथमिक व्यापारी किसी खजाना बिलों की नीलामी में अपेक्षित न्यूनतम बोली लगाने में असमर्थ रहता है अथवा वचनबद्धता से कम बोली लगाता है तो रिजर्व बैंक उस प्राथमिक व्यापारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा।
- (iv) किसी प्राथमिक व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह छमाही आधार पर खजाना बिलों की नीलामी के लिए बोली वचनबद्धता के 40 प्रतिशत का न्यूनतम सफल अनुपात प्राप्त करे। प्राथमिक व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक छमाही (अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च तक) में सफलता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करे। (कृपया उदाहरण के लिए अनुबंध iv देखें)।

2.3. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में "यदा जारी" लेन-देन

प्राथमिक व्यापारी "यदा जारी" लेन-देन शुरू करने के लिए 16 नवंबर 2006 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आइडीएमडी.सं.2130/11.01.01(डी)/2006-07 द्वारा जारी, समय-समय पर संशोधित, दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

2.4. द्वितीयक बाजार लेन-देन - मंदड़िया बिक्री

केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में मंदड़िया बिक्री पर दिशानिर्देशों के लिए 31 जनवरी 2007 के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र आइडीएमडी. सं.11/ 01.01(बी)/2006-07 में निर्दिष्ट, समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करें।

3. प्राथमिक व्यापारी परिचालन - निधि के स्रोत और उनका प्रयोग

- 3.1. प्राथमिक व्यापारियों को मांग/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाजार और रिपो (सीबीएलओ सहित) बाजार से उधार लेने की अनुमति है। वे भारतीय रिजर्व बैंक से चलनिधि समर्थन के भी पात्र हैं।
- 3.2. प्राथमिक व्यापारियों को मांग/नोटिस बाजार से रिपोर्टिंग शुक्रवार को औसतन पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 200 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति है।
- 3.3. प्राथमिक व्यापारी मांग/नोटिस बाजार में अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत तक उधार दे सकते हैं। यह सीमा "रिपोर्टिंग शुक्रवार" के दौरान औसत आधार पर प्राथमिक व्यापारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 3.4. उधार लेने और देने की ये सीमाएँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के अधीन हैं।
- 3.5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि समर्थन

भारतीय रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा तक पहुँच के अतिरिक्त स्वतंत्र प्राथमिक

व्यापारियों को भारतीय रिजर्व द्वारा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की पात्र प्रतिभूतियों पर रिपो/पुनर्वित के माध्यम से चलनिधि समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। चलनिधि समर्थन केवल स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को ही उपलब्ध कराया जाएगा। चलनिधि समर्थन आबंटन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा :

- (i) कुल चलनिधि समर्थन की आधी राशि स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों में समान रूप से बाँटी जाएगी। शेष आधी राशि (अर्थात् 50 प्रतिशत) प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में उनके निष्पादन के आधार पर 1:1 के अनुपात में बाँटी जाएगी। प्राथमिक बाजार में निष्पादन की गणना खजाना बिल नीलामी और सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में 1:3 के अनुपात में स्वीकृत बोलियों के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार, द्वितीयक बाजार निष्पादन का निर्णय खजाना बिलों तथा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के 1:3 के अनुपात में संपूर्ण बिक्री के आधार पर लिया जाएगा।
- (ii) प्राथमिक व्यापारी वार चलनिधि समर्थन की मात्रा पिछले छः माह में प्राथमिक व्यापारियों के बाजार निष्पादन के आधार पर प्रत्येक छमाही (अप्रैल-सितंबर और अक्टूबर-मार्च) में संशोधित की जाएगी।
- (iii) प्राथमिक व्यापारियों को चलनिधि समर्थन रिजर्व बैंक द्वारा घोषित "रिपोदर" पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iv) प्राथमिक व्यापारी द्वारा उपयोग किए गए चलनिधि समर्थन की चुकौती 90 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। प्राथमिक व्यापारियों द्वारा 90 दिन के बाद चुकौती किए जाने पर दंडात्मक ब्याज के रूप में बैंक दर तथा 90 दिन के बाद की अवधि के लिए 5 प्रतिशतता पाइंट देय होगा।

3.6. अंतर कंपनी जमाराशि :

3.6.1. प्राथमिक व्यापारियों द्वारा जमा की गई अंतर कंपनी जमाराशि (आइसीडी) को अलग रखा जाना चाहिए तथा उसका प्रयोग निधि के लगातार संसाधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जोखिम पर समुचित रूप से विचार करने के बाद प्राथमिक व्यापारियों के निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में नीति तैयार की जानी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत शामिल होने चाहिए :-

- (i) आइसीडी की अधिकतम सीमा निर्धारित होने के बाद प्राथमिक व्यापारियों के उधार उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। यह आशा की जाती है कि आइसीडी पर वास्तविक रूप से निर्भरता अधिकतम राशि से काफी कम होनी चाहिए।
- (ii) प्राथमिक व्यापारियों द्वारा स्वीकृत आइसीडी एक सप्ताह की न्यूनतम अवधि के लिए होनी चाहिए।
- (iii) मूल/प्रवर्तक/समूह कंपनियों अथवा अन्य किसी संबंधित पार्टी द्वारा स्वीकृत आइसीडी को भी एक निर्धारित फासले पर रखना चाहिए तथा वित्तीय विवरणों में "संबंधित पार्टी के लेन-देन" के रूप में दिखाया जाना चाहिए।
- (iv) आइसीडी द्वारा एकत्र की गई राशि आस्ति-देयता प्रबंधन के अधीन होनी चाहिए।

3.6.2. प्राथमिक व्यापारियों के लिए आइसीडी बाजार में निधियाँ रखना निषिद्ध है।

3.7. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) ऋण/बाह्य वाणिज्य उधार।

3.7.1. प्राथमिक व्यापारी अपनी पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च अन्त की निवल स्वाधिकृत निधियों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक एफसीएनआर(बी) ऋण ले सकते हैं, जो ऐसे ऋणों के विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन होगा; ये ऋण हमेशा जोखिम के 50 प्रतिशत की सीमा में प्रतिरक्षित रहते हैं।

3.7.2. प्राथमिक व्यापारियों को बाह्य वाणिज्य उधार के माध्यम से राशि इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।

3.8. रिपोर्टिंग अपेक्षा

3.8.1. प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दैनिक अधार पर अनुरक्षित निधि के स्रोत और उनका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक को पाक्षिक आधार पर भेजें। विवरणी का फार्मेट (पीडीआर

- I) परिशिष्ट V में संलग्न है ।
- 3.8.2. प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिभूति बाजार की कुल बिक्री मासिक आधार पर सूचित करें । विवरणी का फार्मेट (पीडीआर II) परिशिष्ट VI में संलग्न है ।
- 3.8.3. प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित फार्मेट में (पीडीआर III) में पूंजी पर्याप्तता पर तिमाही विवरण प्रस्तुत करें ।
- 3.8.4. प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे चयनित वित्तीय और तुलन पत्र निर्देशक तिमाही आधार पर भेजें । विवरणी का फार्मेट (पीडीआर IV) परिशिष्ट VII में संलग्न है ।
4. स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों द्वारा गतिविधियों का विशाखन
- 4.1. स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के वर्तमान कारोबार के साथ-साथ कुछ शर्तों के अधीन अपनी गतिविधियों का विशाखन करने की अनुमति है ।
- 4.2 तदनुसार, प्राथमिक व्यापारी अपने परिचालन "महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण से इतर गतिविधियाँ" में बाँट सकते हैं ।
- 4.2.1. निम्नलिखित गतिविधियों को महत्वपूर्ण गतिविधियोंमें शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई है :-
- सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार और हामीदारी
 - ब्याज दर डेरिवेटिव्स में कारोबार
 - सरकारी प्रतिभूतियों में ब्रोकिंग सेवाएँ प्रदान करना
 - कंपनी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थान बॉण्डों/डिबंचरों में कारोबार और हामीदारी
 - मांग/नोटिस/मीयादी/रिपो/सीबीएलओ बाजार में उधार
 - वाणिज्य कागजात में निवेश
 - जमा प्रमाणपत्रों में निवेश
 - प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्गठन कंपनियों, आस्ति आधारित प्रतिभूतियों, बंधक आधारित प्रतिभूतियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश
 - ऋण म्युच्युअल फंड में निवेश जहाँ संपूर्ण राशि का निवेश ऋण प्रतिभूतियों में किया हो ।
- 4.2.2. प्राथमिक व्यापारियों को महत्वपूर्ण गतिविधियों से इतर के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ आरंभ करने की अनुमति है :
- 4.2.2.1 वे गतिविधियाँ जिनमें पूंजी का उपयोग किया जाता है, जैसे :
- निवेश/इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स बाजार में निवेश/कारोबार
 - इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड में निवेश
 - इक्विटी के सरकारी निर्गमों में हामीदारी
- 4.2.2.2 वे सेवाएँ जिनमें पूंजी का उपयोग नहीं होता अथवा महत्वपूर्ण पूंजी परिव्यय अपेक्षित नहीं होता, यथा
- व्यावसायिक समाशोधन सेवाएँ
 - संविभाग प्रबंधन सेवाएँ
 - निर्गम प्रबंध सेवाएँ
 - विलयन/अभिग्रहण परामर्शी सेवाएँ
 - निजी इक्विटी प्रबंधन सेवाएँ
 - परियोजना मूल्यांकन सेवाएँ
 - ऋण समूहन सेवाएँ
 - ऋण पुनर्गठन सेवाएँ
 - परामर्शी सेवाएं

- (x) म्युच्युअल फंड इकाइयों का वितरण
- (xi) बीमा उत्पादों का वितरण
- 4.2.3. बीमा उत्पादों के वितरण के लिए प्राथमिक व्यापारी गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी 10 फरवरी 2004 के परिपत्र सं.डीएनबीएस(पीडी) सीसी.सं.35/ 10.24/2003-04 में विहित दिशानिर्देशों का अनुपालन करें ।
- 4.2.4. ऊपर निर्दिष्ट गतिविधियाँ आरंभ करने के संबंध में अन्य विनियामकों का अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, प्राप्त किया जाए ।
- 4.2.5. प्राथमिक व्यापारियों को इक्विटी में ब्रोकिंग/पण्य सोने और विदेशी मुद्रा में कारोबार में ब्रोकिंग की अनुमति नहीं है ।
- 4.3. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश स्वरूप के अनुसार महत्वपूर्ण गतिविधियों में इतर गतिविधियों से, अधिक निवेश होना चाहिए । सभी प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी समय पर सरकारी प्रतिभूतियों में (दोनों दीर्घावधि और अल्पावधि) अपने वित्तीय निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत अधिक बनाए रखना सुनिश्चित करें । सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में प्राथमिक व्यापारी के अपने स्टॉक, चलनिधि समर्थन के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्टॉक/अंतर दिवस चलनिधि (आइडीएल)/चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रिपो उधार के लिए बाजार में स्टॉक तथा भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआइएल) के पास गिरवी रखी सरकारी प्रतिभूतियाँ सम्मिलित होंगी ।
- 4.4. महत्वपूर्ण गतिविधियों से इतर का जोखिम स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों द्वारा गतिविधियों के विशाखन हेतु विनियामक और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में दिशानिर्देशों के अधीन होगा, जो निम्नानुसार है :-
- 4.4.1. पैरा 4.2.2 में दर्शाए अनुसार महत्वपूर्ण गतिविधियों से इतर गतिविधियाँ शुरू करने का प्रस्ताव करनेवाले प्राथमिक व्यापारियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि की सीमा 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए; इन गतिविधियों का विशाखन न करनेवाले प्राथमिक व्यापारियों के लिए यह सीमा 50 करोड़ रुपये है ।
- 4.4.2. ऊपर पैरा 4.2.2 में पारिभाषित किए अनुसार महत्वपूर्ण गतिविधियों से इतर का जोखिम नीचे दिए अनुसार जोखिम पूंजी आबंटन के अधीन होगा ।
- 4.4.2.1 प्राथमिक व्यापारी पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन पर दिनांक 2 अगस्त 2006 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं.आइडीएमडी.पीडीआरएस/457/ 03.64.00/2006-07 में समय-समय पर संशोधित किए अनुसार विहित दिशानिर्देशों के आधार पर आंतरिक मॉडल (VaR आधारित) का प्रयोग करते हुए स्टॉक स्थितियों/पूर्वप्राप्त स्टॉक स्थितियों/म्युच्युअल फंड उन्मुख इक्विटी की यूनिटों पर बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना कर सकते हैं । प्राथमिक व्यापारी ऊपर निर्दिष्ट परिपत्र में निर्धारित किए अनुसार इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स तथा म्युच्युल फंड उन्मुख इक्विटी से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम के लिए प्रावधान करना जारी रख सकते हैं ।
- 4.4.2.2 कमर्शियल पेपर, कार्पोरेट/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्थान बॉण्ड/ हामीदारी के संबंध में ऋण जोखिम तथा बाजार जोखिम, दोनों के लिए दिशानिर्देश 2 अगस्त 2006 के भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र आइडीएमडी (पीडीआरएस) 457/ 03.64.00/2006-07, समय-समय पर यथा संशोधित में, विहित हैं ।
- 4.4.2.3 ऊपर पैरा 4.2.2.1 में पारिभाषित गतिविधियों के लिए बाजार जोखिम (99 प्रतिशत विश्वास अंतराल पर गणना किया गया, 15 दिन की धारण अवधि तथा 3.3 के गुणकों सहित VaR) के लिए पूंजी प्रभार पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- 4.4.2.4 महत्वपूर्ण कारोबार से इतर घटक में विशाखन का चयन करनेवाले प्राथमिक व्यापारियों को उन घटकों के लिए विशाखन की गुंजाइश, संगठन ढाँचे तथा रिपोर्टिंग स्तरों की परिभाषा आंतरिक रूप से पारिभाषित करनी चाहिए । प्राथमिक व्यापारियों को अपने बोर्ड के अनुमोदन से निवेश नीति में इन घटकों के लिए ऋण जोखिम की सीमाएँ निर्दिष्ट करनी चाहिए ।

5. निवेश दिशानिर्देश :

5.1. निवेश नीति :

प्राथमिक व्यापारियों को प्रतिभूति लेन-देनों पर निवेश और परिचालन नीति से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने और लागू करने चाहिए जिसे उनके बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो। इन दिशानिर्देशों में अपनी ओर से तथा अपने ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों का लेन-देन करने के व्यापक उद्देश्य होने चाहिए, सौदों के लिए प्राधिकार की स्पष्ट परिभाषा तथा सौदों के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया, विभिन्न विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमाएँ इत्यादि, ब्रोकरों के माध्यम से कारोबार के संबंध में नीति, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन हेतु प्रणाली, संविभाग के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश तथा रिपोर्टिंग प्रणाली इत्यादि होनी चाहिए। दैनंदिन व्यापार परिचालनों के संबंध में परिचालनगत प्रक्रिया और नियंत्रण उपाय भी तैयार किए जाने चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभूतियों में परिचालन सुदृढ़ और स्वीकार्य कारोबार प्रक्रिया के अनुरूप किए जाते हैं। ये दिशानिर्देश तैयार करते समय प्राथमिक व्यापारियों को समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन कड़ाई से करना चाहिए। नीति और परिचालनगत दिशानिर्देशों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन आवधिक रूप से करना चाहिए।

5.2. प्राथमिक व्यापारियों को अपने निवेश आवश्यक रूप से एसजीएल भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति संविभाग में रखने चाहिए। निक्षेपागृहों (एनएसडीएल/सीडीएसएल) के पास उनके डिमैट खाते होने चाहिए। सरकारी प्रतिभूतियों में खरीद/बिक्री लेन-देन आवश्यक रूप से एसजीएल/सीएसजीएल/ डिमैट खाते में होने चाहिए।

5.3. प्राथमिक व्यापारियों को सभी अन्य निवेश यथा कर्मशियल पेपर, बॉण्ड और डिबेंचर निजी रूप से अथवा अन्य किसी रूप में रखने चाहिए और इक्विटी लिखत केवल इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखने चाहिए।

5.4. समस्यावाले उन सभी ऋण जोखिमों का पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए जिनके लिए किसी प्रतिभूति का प्रावधान नहीं किया गया है अथवा किसी ऐसी प्रतिभूति का प्रावधान किया गया है जो संदिग्ध मूल्य की है। जहाँ प्राथमिक व्यापारी ने किसी दूसरे पक्ष से वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, ऐसे ऋण जोखिमों का मूल्यांकन करके प्रावधानीकरण किया जाए जिससे लेखा परीक्षक संतुष्ट हो सकें। किसी प्राथमिक व्यापारी के विरुद्ध दावे को भी नोट किया जाना चाहिए और उस सीमा तक प्रावधान किया जाना चाहिए कि लेखा परीक्षक संतुष्ट हो सकें।

5.5. लाभ और हानि खाते में समस्यावाले ऋण जोखिम, यदि कोई हों तो, तथा समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार संविभाग के मूल्यांकन का प्रभाव भी दर्शाया जाना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इस आशय का प्रमाणन होना चाहिए।

5.6. प्राथमिक व्यापारियों को उक्त मानदंडों सहित अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से, प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों बाजारों में प्रतिभूतियों के लेन-देन पर अपने आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।

5.7. गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर दिशानिर्देश

5.7.1. गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर दिशानिर्देश इन दिशानिर्देशों में आम तौर पर कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थानों, विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीवी) इत्यादि द्वारा जारी गैर सरकारी प्रतिभूतियों में (पूँजी लाभ बॉण्ड, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति के लिए पात्र बॉण्ड, सरकारी गारंटी सहित और उसके बिना केन्द्र अथवा राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बॉण्डों सहित) प्राथमिक व्यापारियों के निवेश आते हैं। तथापि, ये दिशानिर्देश इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड योजनाओं की इकाइयों, जहाँ इक्विटी में कुल राशि का कितना भी हिस्सा निवेश किया जा सकता है, (ii) उद्यम पूँजी निधि, (iii) कर्मशियल पेपर, (iv) जमा प्रमाण पत्र तथा (v) इक्विटी शेयरों में निवेश पर लागू नहीं होते हैं। ये दिशानिर्देश, प्राथमिक बाजार तथा द्वितीयक बाजार, दोनों में निवेश पर

लागू होंगे ।

- 5.7.2.** प्राथमिक व्यापारियों को भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अंतर्गत कवर किए गए, कमर्शियल पेपर और जमा प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता अवधिवाली गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए ।
- 5.7.3.** प्राथमिक व्यापारियों को गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के संबंध में पूरी तत्परता बरतनी चाहिए ।
- 5.7.4.** प्राथमिक व्यापारियों को उन गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए जिनका मूल्य निर्धारित न हो ।
- 5.7.5.** प्राथमिक व्यापारी कंपनी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करेंगे । तदनुसार, गैर सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में नया निवेश करते समय प्राथमिक व्यापारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे निवेश, नीचे पैरा 5.7.6 में निर्दिष्ट की गई सीमा को छोड़कर, केवल सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में ही किए जाते हैं ।
- 5.7.6.** ऐसी गैर सरकारी प्रतिभूतियों में, जो सूचीबद्ध नहीं हैं, प्राथमिक व्यापारियों का निवेश निरंतर आधार पर उनके गैर सरकारी प्रतिभूति संविभाग के आकार के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए । 10% की अधिकतम सीमा में प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्गठन कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश सहित आस्ति आधारित प्रतिभूतियों और बंधक आधारित प्रतिभूतियों में निवेश भी सम्मिलित होगा । ऐसी गैर सरकारी ऋण प्रतिभूतियों से, जो सूचीबद्ध नहीं हैं तथा जिनमें प्राथमिक व्यापारी उपर्युक्त सीमा तक निवेश कर सकते हैं, का अनुपालन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार होना चाहिए ।
- 5.7.7.** प्राथमिक व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ओटीसी बाजार में किए गए कापोरेट बॉण्डों में अपने द्वितीयक बाजार लेन-देन फिमडा रिपोर्टिंग मंच पर रिपोर्ट करें जैसा कि 31 जुलाई 2007 के परिपत्र आंक्रप्रवि.530/03.64.00/2007-08 में निर्दिष्ट किया गया है ।
- 5.7.8.** प्राथमिक व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित उनकी निवेश नीतियाँ गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर इन दिशानिर्देशों में सभी संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं । प्राथमिक व्यापारी गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने से पहले निवेश के संबंध में जोखिम का विश्लेषण करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाएँ तथा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करें । प्राथमिक व्यापारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार करनी चाहिए कि निजी लिखतों में निवेश प्राथमिक व्यापारियों की निवेश नीति के अंतर्गत प्रणालियों और प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है ।
- 5.7.9** प्राथमिक व्यापारियों के बोर्ड को गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा कम से कम तिमाही अंतराल पर करनी चाहिए :-
- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल कारोबार (निवेश और विनिवेश)
 - गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन
 - ऊपर निर्धारित गैर सरकारी प्रतिभूतियों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन
 - प्राथमिक व्यापारी की बहियों में निर्गमकर्ता/निर्गमों के अंतरण की रेटिंग
- 5.7.10.** ऋण के निजी स्थानन संबंधी केन्द्रीय डाटाबेस के सृजन में मदद करने के उद्देश्य से सभी ऑफर दस्तवेजों की एक प्रति क्रेडिट इम्फरमेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमि. (सिबिल) में दर्ज की जाए । साथ ही निजी स्थानन पर रखे गए ऋण के संबंध में ब्याज/किस्त से संबंधित कोई चूक होने पर प्राथमिक व्यापारी सिबिल को ऑफर दस्तवेज की प्रति सहित रिपोर्ट करें ।
- 5.7.11.** सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण प्रतिभूति में सूचीबद्ध हाजिर लेन-देनों को छोड़कर सभी कारोबार स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार मंच पर ही होंगे । सेबी के इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ प्राथमिक व्यापारियों को (जैसे और जब लागू हो) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचीबद्ध और सूचीबद्ध से इतर ऋण प्रतिभूतियों में सभी हाजिर लेन-देन एनडीएस में दर्ज किए जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जानेवाली तारीख से सीसीआइएल के माध्यम से निपटाए जाते हैं ।

6. विवेकपूर्ण प्रणालियाँ/नियंत्रण :

6.1. प्रतिभूतियों के लेन-देनों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :

- (i) प्राथमिक व्यापारियों के पास बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) होनी चाहिए जिसकी बैठक कम से कम तिमाही अंतराल पर होनी चाहिए। एसीबी विभिन्न लेखा परीक्षाओं के निष्कर्षों का अवलोकन करेगी। एसीबी लेखा परीक्षा के कार्यों का प्रभाव और पर्याप्तता सुनिश्चित करेगी।
- (ii) प्रतिभूतियों के सभी लेन-देन (ग्राहकों के लेन-देन सहित) 100% तक आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखा-परीक्षा के अधीन होंगे तथा लेखा-परीक्षा के परिणाम प्राथमिक व्यापारी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य प्रबंध निदेशक के समक्ष माह में एक बार प्रस्तुत करने होंगे। उसके अनुपालन की निगरानी निरंतर आधार पर होनी चाहिए और सीधे उच्च प्रबंधन को सूचित करनी चाहिए। समवर्ती लेखा परीक्षा में ब्रोकरों के माध्यम से किया गया कारोबार भी शामिल किया जाएगा तथा इस रिपोर्ट में निष्कर्ष भी शामिल होंगे।
- (iii) समवर्ती लेखा-परीक्षा के दायरे में ब्रोकर वार सीमा की निगरानी, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और दिशा-निर्देशों में विहित विवेकपूर्ण सीमाएँ, सभी विनियामक विवरणियों का शुद्ध और समय पर प्रस्तुतीकरण, लोक ऋण कार्यालय के विवरणों से एसजीएल/सीएसजीएल शेषों का मिलान, जमा लेखा विभाग के विवरणों से चालू खाता शेष का मिलान, सीसीआइएल के माध्यम से समायोजन, मंदडिया सौदों के संबंध में अनुबंध, यदा-जारी लेन-देन, ग्राहकों के सौदे, मुद्रा बाजार सौदे, लेखांकन मानकों का पालन, सौदा पर्चियों का सत्यापन, सौदे निरस्त होने के कारण, यदि कोई हों, संबंधित पार्टियों से लेन-देन एक निश्चित दूरी आधार पर सम्मिलित होने चाहिए।
- (iv) प्राथमिक व्यापारियों के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रमाण और पर्याप्तता की निगरानी पर केन्द्रित आंतरिक लेखा-परीक्षा की प्रणाली होनी चाहिए।
- (v) प्राथमिक व्यापारी द्वारा एकमुश्त आधार पर अथवा तत्काल वायदा आधार पर किए गए सभी लेन-देन उनकी बहियों और रिकॉर्ड में उसी दिन दर्शाए जाने चाहिए अर्थात् सौदा स्लिप तैयार करने, संविदा नोट, प्रति पक्ष की पुष्टि, क्रय/विक्रय रजिस्ट्रों में लेन-देन दर्ज करना इत्यादि।
- (vi) प्राथमिक व्यापारियों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने प्रत्येक प्रति पक्ष के लिए उचित ऋण जोखिम सीमा/कारोबारी सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिनमें ऐसे प्रति पक्ष के साथ कारोबार के साथ-साथ मुद्रा बाजार, रिपो और एकमुश्त प्रतिभूति लेन-देन शामिल हों। इन सीमाओं, वित्तीय विवरणों, बाजार रिपोर्टों, रेटिंग इत्यादि तथा जहाँ किसी प्रति पक्ष की रेटिंग/मूल्यांकन में कमी हो, पूर्णतया संपार्श्विक आधार पर लिए गए जोखिमों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाए।
- (vii) प्राथमिक व्यापारियों को, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, अपने परिचालनों के लिए पर्याप्त नियंत्रित अनुपात निर्धारित करना चाहिए जिससे उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के गुणांक के रूप में बाहर के सभी उधारों की गणना की जाए।
- (viii) (i) ट्रेडिंग (फ्रंट ऑफिस) (ii) जोखिम प्रबंधन (मिड ऑफिस) और (iii) भुगतान, लेखांकन और समाधान (बैक ऑफिस) के काम स्पष्ट रूप से अलग-अलग होने चाहिए। इसी प्रकार, उनके अपने खाते और ग्राहक के खाते के संबंध में अलग-अलग लेन-देन होना चाहिए।

- (ix) प्रत्येक लेन-देन करते समय ट्रेडिंग डेस्क को एक सौदा पर्ची तैयार करनी चाहिए जिसमें सौदे के स्वरूप से संबंधित आँकड़े, प्रति पक्ष का नाम, क्या यह प्रत्यक्ष सौदा है अथवा ब्रोकर के माध्यम से है, और यदि ब्रोकर के माध्यम से है तो ब्रोकर का नाम, प्रतिभूति का ब्योरा, राशि, मूल्य, संविदा तारीख और समय तथा भुगतान की तारीख होनी चाहिए। सौदे की पर्ची में क्रम सं. दी जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अलग से नियंत्रित होनी चाहिए कि हर पर्ची की गणना सही तरीके से होती है। एक बार सौदा हो जाने पर यह सौदा पर्ची रिकार्डिंग और प्रासेसिंग के लिए तुरंत बैंक ऑफिस को दे देनी चाहिए। प्रत्येक सौदे के लिए प्रति पक्ष को पुष्टि जारी करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। प्रति पक्ष से अपेक्षित लिखित पुष्टि की समय पर रसीद, जिसमें संविदा के सभी आवश्यक ब्योरे शामिल हों, की निगरानी बैंक ऑफिस द्वारा की जानी चाहिए। लेन-देनों के एनडीएस-ओएम मॉड्यूल से मिलान होने पर सौदों के एनडीएस-ओएम मॉड्यूल से प्रतिपक्ष पुष्टि की आवश्यकता ही नहीं है।
- (x) एक बार सौदा हो जाने पर ब्रोकर द्वारा प्रतिपक्ष का कोई एवजी नहीं दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी सौदे में बेची/खरीदी गई प्रतिभूति किसी भी स्थिति में अन्य किसी प्रतिभूति के एवज में नहीं होनी चाहिए।
- (xi) बैंक ऑफिस द्वारा पारित वाउचरों के आधार पर (जो ब्रोकर/प्रतिपक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोटों के सत्यापन और प्रतिपक्ष द्वारा सौदे की पुष्टि के बाद करना चाहिए) लेखा बहियाँ स्वतंत्र रूप से तैयार की जानी चाहिए।
- (xii) प्राथमिक व्यापारियों को प्रतिभूतियों के लेन-देनों की समीक्षा आवधिक रूप से करनी चाहिए तथा उच्च प्रबंधन को प्रतिभूतियों में लेन-देनों के ब्योरे, निधि/प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी न होने के ब्योरे तथा सीसीआइएल की कमियों के मामले की रिपोर्ट देनी चाहिए।

6.2.

एसजीएल अंतरण फार्मों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री

सभी प्राथमिक व्यापारियों को अपने लेन-देन एनडीएस/एनडीएस (ओएम) पर दर्ज करने चाहिए तथा प्रति पक्ष के रूप में सीसीआइएल के माध्यम से उनका निपटान करना चाहिए ऐसे मामलों में जहाँ अपवादों को प्रत्यक्ष एसजीएल अंतरण फार्म प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, निम्नलिखित दिशनिर्देशों का पालन किया जाए :-

- (i) सभी जारी किए गए/प्राप्त किए गए एसजीएल अंतरण फार्मों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए और प्रतिपक्ष द्वारा प्राप्त एसजीएल अंतरण फार्मों के अधिप्रमाणन के सत्यापन की प्रणाली और अधिप्रमाणित हस्ताक्षरकर्ताओं की पुष्टि की जानी चाहिए।
- (ii) किसी भी स्थिति में प्राथमिक व्यापारी द्वारा किसी प्रतिपक्ष के पक्ष में जारी किया गया एसजीएल अंतरण एसजीएल/चालू खाते में पर्याप्त शेष न होने के कारण लौटाया नहीं जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय से एसजीएल फार्म की वापसी का कोई भी उदाहरण प्राथमिक व्यापारी के उच्च प्रबंधन की जानकारी में लाया जाए तथा भारतीय रिजर्व बैंक को लेन-देन के ब्योरे सहित रिपोर्ट किया जाए।
- (iii) खरीदनेवाले प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्राप्त एसजीएल अंतरण फार्म उनके एसजीएल खाते में तुरंत जमा कर दिए जाने चाहिए। प्राथमिक व्यापारी द्वारा रखे गए एसजीएल फार्म की वापसी से कोई बिक्री प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- (iv) एसजीएल अंतरण फार्म रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक फार्मेट में होने चाहिए तथा एकसमान आकार के अर्ध-प्रतिभूति कागज पर छपे होने चाहिए। उन पर क्रम से संख्या दी जानी चाहिए तथा प्रत्येक एसजीएल फार्म की गणना के लिए एक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

6.3.

सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन के संबंध में किसी भी स्थिति में प्राथमिक व्यापारियों द्वारा बैंक रसीद अथवा उसी प्रकार की रसीद जारी अथवा स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

6.4.

प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए लेखांकन मानक :

- (i) प्राथमिक व्यापारियों को उचित अंतराल पर प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य के आधार पर अपने व्यापारिक संविभाग में सभी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया

अपनानी चाहिए ।

- (ii) ब्रोकरेज शुल्क, प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय दी गई कमीशन अथवा कर की राशि राजस्व/आस्थगित स्वरूप की लागत है । खंडित अवधि के लिए प्राप्त/अदा किया गया ब्याज भी कूपन भुगतान के समय समायोजित कर लिया जाता है । प्राथमिक व्यापारी आइएएस अथवा जीएपी लेखांकन मानक अपना सकते हैं लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह तरीका सही और उचित हो तथा उससे लाभ अथवा आस्ति मूल्य अधिक न आता हो तथा उसका पालन लगातार किया जाना चाहिए और विशेष रूप से कर प्राधिकरणों द्वारा सामान्यतया स्वीकार्य होना चाहिए ।
- (iii) सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों के अभिग्रहण पर लागत के रूप में विक्रेता को अदा किया गया खंडित अवधि के ब्याज का पूंजीकरण नहीं होना चाहिए लेकिन उसे लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में गिना जाना चाहिए । प्राथमिक व्यापारी खंडित अवधि ब्याज के लिए अलग से समायोजन खाते अनुरक्षित कर सकता है ।
- (iv) प्रतिभूति संविभाग का मूल्यांकन कारोबार और परिचालन फार्मों से अलग स्वतंत्र रूप से होना चाहिए और यह निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा आवधिक रूप से घोषित मूल्य प्राप्त करके किया जाना चाहिए ।
- (v) प्राथमिक व्यापारियों को अपने लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट में निर्धारित फार्मेट (अनुबंध VIII) में प्रकाशित कराने चाहिए । कम से कम निम्नलिखित जानकारी तुलन-पत्र में नोट के रूप में शामिल की जानी चाहिए :-
- क) मांग में कुल उधार (अवधि के दौरान औसत और अधिकतम)
- ख) मूल्यांकन का आधार
- ग) नियंत्रित अनुपात (औसत और अधिकतम)
- घ) सीआरएआर (तिमाही आँकड़े) तथा
- ड) गैर सरकारी प्रतिभूति निवेश के जारीकर्ता मिश्रण का ब्योरा
- प्राथमिक व्यापारी अतिरिक्त प्रकटीकरण से और अधिक जानकारी दे सकते हैं ।

6.5. सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि को धारण करने का मिलान करना :

प्राथमिक व्यापारियों की बहियों के शेष का मिलान लोक ऋण कार्यालयों की बहियों में शेष राशि के साथ कम से कम मासिक अंतराल पर किया जाना चाहिए । यदि इस प्रकार के लेन-देनों की संख्या अधिक हो तो मिलान का अंतराल और कम करना चाहिए । लेखा परीक्षण के दौरान समाधान की जाँच आवधिक रूप से की जानी चाहिए ।

6.6. ग्राहकों की ओर से लेन-देन :

- (i) प्राथमिक व्यापारियों को ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय ग्राहकों के एजेंट के रूप में काम करते हुए चौकस रहना चाहिए ।
- (ii) प्राथमिक व्यापारियों को स्वामित्ववाले व्यापार अथवा अन्य मध्यस्थ परिचालनों के लिए वित्तपोषण हेतु ग्राहकों की निधि अथवा ग्राहकों की आस्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए ।
- (iii) सभी लेन-देन रिकार्ड यह उल्लेख करते हुए स्पष्ट होने चाहिए कि ये लेन-देन ग्राहकों से संबंधित हैं और प्राथमिक व्यापारी के अपने खाते से नहीं हैं ।
- (iv) ग्राहकों की ओर से लेन-देन तथा ग्राहकों के एसजीएल खातों में परिचालन ग्राहक एसजीएल खातों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने चाहिए ।

(v) वे प्राथमिक व्यापारी, जो अभिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं (अर्थात् सीएसजीएल धारक) तथा अपने ग्राहकों को गिल्ट खातों के अनुरक्षण की सुविधा देते हैं उन्हें अपने ग्राहकों द्वारा किसी बिक्री लेन-देन के समायोजन की अनुमति तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि बेची गई प्रतिभूति वास्तव में गिल्ट खाते में न रखी गई हो ।

(vi) एनडीएस-ओएम को अप्रत्यक्ष पहुँच की अनुमति बैंकों के माध्यम से कुछ निवेशकों के कतिपय घटकों को 27 मई 2008 के परिपत्र आंश्रुप्रवि. डीओडी.सं.5893/10.25.66/2007-08 के माध्यम से दी गई है । प्राथमिक व्यापारियों को एनडीएम-ओएम पर "घटक सौदा" करते हुए गिल्ट खाता धारकों की ओर से गिल्ट खातों और निवेशों के अनुरक्षण पर दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए ।

6.7. किसी एसजीएल लेन-देन में प्रतिभूति/निधि की पूरी सुपुर्दगी में असफलता :

प्राथमिक व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी एसजीएल क्रय/विक्रय में प्रतिभूति/निधि की सुपुर्दगी में चूक को गंभीरता से लिया जाएगा । ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट, चाहे वह सीसीआइएल की प्रक्रिया के दौरान प्रतिभूतियों/निधि के माध्यम से पूरी की गई हो, भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए । 6 माह (अप्रैल-सितंबर तथा अक्टूबर-मार्च) की अवधि में निधि तथा/अथवा प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी में तीन बार चूक होने पर तीसरी बार चूक की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए प्राथमिक व्यापारी को एसजीएल सुविधा के प्रयोग से कारोबार करने की अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा । यह सुविधा वापस मिलने पर भी यदि फिर से चूक होती है तो एसजीएल सुविधा का प्रयोग करने से प्राथमिक व्यापारी को हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा ।

7. स्टॉक एक्सचेंजों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार :

7.1. स्टॉक एक्सचेंजों में राष्ट्रव्यापी, नामरहित, आदेश चालित स्क्रीन आधारित कारोबार प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार, सरकारी प्रतिभूतियों में फुटकर सहित इक्विटी के समान के निवेशकर्ताओं के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर अनुमति प्रदान की गई है । तदनुसार, इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) तथा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में आदेश चालित प्रणाली में कारोबार की अनुमति दे दी गई है । यह कारोबार सुविधा परक्रामित कारोबार प्रणाली में रिपोर्टिंग/कारोबार सुविधा के अतिरिक्त है । समानान्तर प्रणाली होने के कारण एक्सचेंजों में हुए कारोबार उनके अपने समाशोधन निगम/समाशोधन गृहों (यदि वे समाशोधन के सदस्य हैं) अथवा समाशोधन सदस्य अभिरक्षकों द्वारा समायोजित किए जाएंगे । प्राथमिक व्यापारियों के व्यापार का समाधान प्रत्यक्ष तौर पर समाशोधन निगम/समाशोधन गृह से (यदि वे समाशोधन के सदस्य हैं) अथवा समाशोधन सदस्य अभिरक्षक के माध्यम से होने चाहिए ।

7.2. प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी प्रतिभूति बाजार को चलनिधि उपलब्ध कराने तथा फुटकर बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। अतः वे एक्सचेंजों में नियोजन और आदेश लेने की प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों की सभी श्रेणियों को सरकारी प्रतिभूतियाँ वितरित करने की सुविधा का पूर्ण उपयोग करें। प्राथमिक व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते के अतिरिक्त एनएसडीएल/सीडीएसएल के जमाकर्ता भागीदारों के साथ डी-मैट खाते खोलें। एसजीएल/सीएसजीएल और डी-मैट खातों के बीच प्रतिभूतियों के बिना कीमत के अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) द्वारा इस संबंध में अलग से जारी दिशानिर्देशों के अधीन लोक ऋण कार्यालय, मुंबई द्वारा संभव होगा।

7.3. परिचालनगत दिशानिर्देश

- (i) प्राथमिक व्यापारियों को अपने बोर्ड से विशिष्ट रूप से अनुमोदन लेना चाहिए ताकि वे स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार कर सकें।
- (ii) प्राथमिक व्यापारी प्रतिभूतियाँ देने और लेने के आधार पर ही लेन-देन कर सकते हैं।
- (iii) ब्रोकर/कारोबार करनेवाले सदस्य समाधान प्रक्रिया में शामिल नहीं होने चाहिए; सभी कारोबार समाशोधन निगम/समाशोधन गृहों (यदि वे समाशोधन के सदस्य हैं) अथवा समाशोधन सदस्य अभिरक्षकों के माध्यम से निपटाए जाने चाहिए।
- (iv) किसी एक ब्रोकर के माध्यम से किया गया कारोबार ही ब्रोकरों के माध्यम से किए गए लेन-देनों के संबंध में वर्तमान विनियमों के अधीन होंगे।
- (v) सरकारी प्रतिभूतियों में सभी एकमुश्त द्वितीयक बाजार लेन-देनों में T+1 आधार पर मानकीकृत निपटान अपनाया गया है ताकि लेन-देनों के लिए भागीदारों को अधिक समय मिले और बेहतर निधि तथा जोखिम प्रबंधन में मदद मिल सके।
- (vi) तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेन-देनों के संबंध में बाजार भागीदारों के पास चयन का विकल्प होगा कि वे अपना पहले चरण का निपटान T+0 आधार पर अथवा T+1, जैसी भी उनकी आवश्यकता हो, के अनुसार कर सकते हैं।
- (vii) प्रतिभूतियों की गैर सुपुर्दगी/स्पष्ट रूप से निधि उपलब्ध न होने के कारण निपटान के असफल होने को एसजीएल को बकाया माना जाएगा तथा एसजीएल लेन-देनों के संबंध में वर्तमान दण्ड लागू होंगे। ऐसी असफलताओं की सूचना स्टॉक एक्सचेंज संबंधित लोक ऋण कार्यालयों को देंगे।
- (viii) उन प्राथमिक व्यापारियों को, जो स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्य हैं, अपने गैर संस्थागत ग्राहक व्यापार की ओर से मार्जिन लगाने होंगे। ऐसे मार्जिन संबंधित ग्राहकों की ओर से इकट्ठे किए जाने होते हैं। प्राथमिक व्यापारियों को इस बात की अनुमति नहीं होती कि वे अपने ग्राहक के व्यापारों की ओर से मार्जिन अदा करें तथा अपने ग्राहकों के लिए एक दिन के लिए ऋण जोखिम प्रदान करें। जैसा कि मार्जिन के लिए ग्राहकों पर जहाँ तक आन्तर दिवस ऋण जोखिमों का संबंध है, प्राथमिक व्यापारियों को इन में छिपे हुए जोखिम के प्रति जागरूक होना चाहिए।
- (ix) ऐसे प्राथमिक व्यापारी जो समाशोधन/अभिरक्षक सेवाएँ देने के इच्छुक हैं, उन्हें इस संबंध में सेबी से विशिष्ट अनुमोदन लेना होगा। इसी प्रकार जो प्राथमिक व्यापारी स्टॉक एक्सचेंजों की कारोबारी सदस्यता लेने के इच्छुक हैं, उन्हें सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूरे करने होंगे।

8. ब्रोकरों के माध्यम से कारोबार

8.1. ब्रोकरों के माध्यम से कारोबार और अनुमोदित ब्रोकरों के लिए संविदा सीमाएँ :

प्राथमिक व्यापारी प्रतिभूतियों अथवा डेरिवेटिव का लेन-देन अपने बीच अथवा बीएमई, एनएसई तथा ओटीसीईआई के सदस्यों के माध्यम से ग्राहकों के साथ कर सकते हैं। कारोबार के असमानुपाती भाग का लेन-देन केवल एक अथवा कुछ ब्रोकरों के साथ नहीं होना चाहिए। प्राथमिक व्यापारियों को प्रत्येक अनुमोदित ब्रोकर के लिए सकल संविदा सीमा निर्धारित करनी चाहिए। एक वर्ष के दौरान प्राथमिक व्यापारी द्वारा किए गए कुल लेन-देन (दोनों क्रय और

विक्रय) के 5% की सीमा अनुमोदित ब्रोकरों में से प्रत्येक की सकल उच्चतर संविदा सीमा होगी । तथापि, यदि किसी कारणवश किसी ब्रोकर की समग्र सीमा को बढ़ाना आवश्यक होता है तो उसके विशिष्ट कारण दर्ज किए जाएँ तथा बोर्ड को इस संबंध में बाद में सूचित किया जाए ।

- 8.2. प्राथमिक व्यापारियों को अपने उच्च प्रबंधन के अनुमोदन से अनुमोदित ब्रोकरों की एक सूची तैयार करनी चाहिए जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर अथवा आवश्यकता होनेपर कम अंतराल में होनी चाहिए । ब्रोकरों को सूचीबद्ध करने के लिए उनकी साख, बाजार में उनकी प्रतिष्ठा इत्यादि सहित, के लिए स्पष्ट मानदंड होने चाहिए । किए गए सौदों और दी गई ब्रोकरेज का ब्रोकर-वार रिकार्ड बनाए रखा जाना चाहिए ।
- 8.3. ब्रोकर को सौदे पर दी गई ब्रोकरेज, यदि कोई हो तो (यदि सौदा ब्रोकर की मदद से किया गया हो) यह नोट/ज्ञापन पर अनुमोदन लेते समय स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा ब्रोकर-वार अदा की गई ब्रोकरेज का ब्रोकर-वार ब्योरा बनाया जाना चाहिए ।
- 8.4. ब्रोकर की भूमिका दोनों पक्षों को सौदे तक लाने की होनी चाहिए । प्राथमिक व्यापारियों और प्रति पक्षों के बीच सौदे का निपटारा प्रत्यक्ष रूप में पार्टियों के बीच होना चाहिए और इस प्रक्रिया में ब्रोकर की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए ।
- 8.5. सौदा तय करते समय ब्रोकर को प्रति पक्ष की पहचान नहीं बतानी चाहिए । सौदा पूरा होनेपर उसे प्रति पक्ष के बारे में बताना चाहिए और उसके संविदा नोट पर प्रति पक्ष का नाम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए ।
9. **तैयार वायदा लेन-देनों के मानदंड**

प्राथमिक व्यापारियों को देनदार और लेनदार दोनों रूपों में तैयार वायदा लेनदेन (रिपो) बाजार में सहभागिता की अनुमति है । प्राथमिक व्यापारियों द्वारा तैयार वायदा संविदा (रिवर्स रिपो सहित) निम्नलिखित शर्तों के अधीन किए जाएंगे :

- (i) रिपो केवल (i) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों तथा (ii) राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों के कारोबार में किया जा सकता है ।
- (ii) रिपो संविदा केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, अन्य प्राथमिक व्यापारियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, म्युच्युअल फंड, आवास वित्त कंपनियों, बीमा कंपनियों तथा अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के साथ किया जा सकता है बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनका एसजीएल खाता हो अथवा सुरक्षित रखने के लिए अभिरक्षक का गिल्ट खाता हो ।
- (iii) सूचीबद्ध कंपनियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिपो कारोबार कर सकती हैं :
- (क) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा रिवर्स रिपो (निधि देने के लिए) की न्यूनतम अवधि सात दिन है । तथापि, सूचीबद्ध कंपनियाँ कम अवधि अर्थात् एक दिन के लिए रिपो के माध्यम से निधि उधार ले सकती हैं ।
- (ख) जहां सूचीबद्ध कंपनियां रिपो संविदा के प्रथम चरण में प्रतिभूतियों की "क्रेता" (अर्थात् निधि देनेवाली) होती हैं, तब अभिरक्षक, जो उन प्रतिभूतियों का रिपो लेनदेन का निपटान करता है, के माध्यम से इन प्रतिभूतियों को गिल्ट खाते में रोके रखना चाहिए और सुनिश्चित किया जाए कि रिपो अवधि के दौरान इन प्रतिभूतियों को न तो बेचा जाए और न रिवर्स रिपो किया जाए परंतु इसे द्वितीय चरण के अधीन वितरण के लिए रखा जाए ।
- (ग) रिपो/रिवर्स रिपो लेन-देनों के लिए सूचीबद्ध कंपनियों का प्रति पक्ष या तो बैंक होना चाहिए अथवा एक प्राथमिक व्यापारी होना चाहिए जिसका एसजीएल खाता रिजर्व बैंक में हो ।
- (iv) कोई प्राथमिक व्यापारी अपने किसी ग्राहक से रिपो न करे और न ही अपने दो ग्राहकों के बीच रिपो उपलब्ध कराए ।
- (v) प्राथमिक व्यापारी अपने सभी रिपो लेन-देन (दोनों, अपने और ग्राहक के खाते से) तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) पर रिपोर्ट करें । सभी रिपो का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के पास अनुरक्षित एसजीएल खाते / सीएसजीएल खाते के

माध्यम से केन्द्रीय प्रति पक्ष के रूप में कार्यरत भारतीय समाशोधन निगम लिमि. (सीसीआइएल) के साथ किया जाएगा ।

- (vi) रिपो के प्रथम चरण में प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री लेन-देन की तारीख की प्रचलित बाजार दरों के अनुरूप होनी चाहिए ।
- (vii) सीसीआइएल की गारंटीशुदा निपटान प्रणाली के अंतर्गत निपटाए गए लेन-देनों का पुनर्निर्धारण किया जाए बशर्ते प्रतिभूति की कीमत और रिपो ब्याज दरें पुनर्निर्धारण पर फिर से तय की गई हों ।
- (viii) रिपो पर वैश्विक मास्टर रिपो करार, समुचित अनुसूची सहित, जैसा कि फिमडा द्वारा प्रस्तावित है, प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अपने प्रति पक्षों से किया जाना चाहिए ।

10. प्राथमिक व्यापारियों द्वारा संविभाग प्रबंधन सेवाएँ -

10.1. प्राथमिक व्यापारी, संविभाग प्रबंधन सेवा की सेबी की योजना के अंतर्गत अपने ग्राहकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविभाग प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं । संविभाग प्रबंधन सेवा लेने के पहले प्राथमिक व्यापारी को सेबी से संविभाग प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा भारतीय रिजर्व बैंक का विशिष्ट अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है ।

- (i) संविभाग प्रबंधन सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किसी भी संस्था को नहीं दी जा सकती । तथापि पर्याप्त स्वत्व त्यागकर उन्हें परामर्शी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं ।
- (ii) किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित ग्राहकों को, जहां लागू हो, प्राथमिक व्यापारी के साथ संविभाग प्रबंधन सेवाएं व्यवस्था करार करने से पहले अपने विनियामक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए ।
- (iii) प्राथमिक व्यापारी से अपेक्षा की जाती है कि वे सेबी (संविभाग प्रबंधक) विनियमावली, 1993 तथा उसमें जारी आशोधनों अथवा उसी के अंतर्गत जारी अनुदेशों का पालन करें ।

10.2. इसके अलावा, प्राथमिक व्यापारी को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना चाहिए :

- (i) संविभाग प्रबंध सेवाओं के ग्राहकों से स्पष्ट अधिदेश प्राप्त कर लेना चाहिए तथा उसका कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए । विशेष रूप से, जोखिम प्रकटीकरण, हानि संभावनाओं तथा लागत (शुल्क और कमीशन राशि) संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ।
- (ii) संविभाग प्रबंधन सेवाएं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रतिलाभ की गारंटी के बिना ग्राहक जोखिम पर आधारित होनी चाहिए ।
- (iii) संविभाग प्रबंधन के लिए प्राथमिक व्यापारियों के पास रखी जानेवाली निधि/प्रतिभूतियाँ हर बार एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकार न की जाएं ।
- (iv) संविभाग निधि का संवितरण, मांग/सूचना/मीयादी राशि/बिल पुनर्भुनाई बाजारों, बदला वित्तपोषण के लिए अथवा कंपनियों/गैर-कंपनी निकायों, को उधार देने, उनके पास रखने के लिए न किया जाएं ।
- (v) प्रबंधन के लिए स्वीकार्य निधि तथा उस निधि के निवेशों का ग्राहक-वार खाता/रिकॉर्ड रखा जाए और ग्राहक बारंबार अंतरालों में किए गए उक्त खाता विवरण प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।
- (vi) पीएमएस ग्राहकों के निवेश और निधि अलग-अलग रखी जाए तथा ये एक-दूसरे से तथा प्राथमिक व्यापारी के निवेश और निधि से अलग हों । जहां तक संभव हो, सभी ग्राहकों के लेन-देन बाजार में किए जाएं न कि आपस में ही संमजन करके चाहे वह प्राथमिक व्यापारी अथवा अन्य कोई ग्राहक, प्राथमिक व्यापारी और किसी पीएमएस ग्राहक अथवा दो पीएमएस ग्राहकों के बीच जब कभी आवश्यक हो तो, सभी लेन-देन बाजार आधारित दरों पर ही किए जाएं ।

11. ब्याज दर डेरिवेटिव संबंधी दिशा-निर्देश

11.1. प्राथमिक व्यापारी 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र बैंपवि.सं.बीपी.बीसी.86/ 21.04.157/2006-

07 में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों, जैसे कि ब्याज दर डेरिवेटिव पर लागू हैं, का पालन करेंगे ।

11.2. प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सभी आइआरएस/ एफआरए व्यापार सीसीआइएल को 23 अगस्त 2007 के परिपत्र आं०प्रवि.11.08.15/ 809/2007-08 के अनुसार सौदा होने के 30 मिनट के भीतर सीसीआइएल, रिपोर्टिंग मंच को रिपोर्ट करें ।

11.3. सहभागियों से अपेक्षा की जाती है परिशिष्ट IX में निर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार अपने एफआरए/आइआरएस परिचालनों पर मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

12. लाभांश की घोषणा पर दिशानिर्देश

लाभांश वितरण घोषित करते समय प्राथमिक व्यापारियों द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए :

(i) प्राथमिक व्यापारी को सांविधिक प्रारक्षित निधि में लाभ अंतरित करने पर विनियमों तथा प्रतिभूतियों के प्रावधानन और मूल्यांकन इत्यादि से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए ।

(ii) वे प्राथमिक व्यापारी लाभांश घोषित नहीं कर सकते जिनका जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात, (सीआरएआर) पिछली चार तिमाहियों में से किसी भी तिमाही में, विनियामक न्यूनतम 15% से कम रहा हो । जिन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर पिछले वर्ष की चारों तिमाहियों के दौरान 15% के विनियामक न्यूनतम के बीच रहा हो, लेकिन किसी भी एक तिमाही में 20 प्रतिशत से कम रहा हो तो उनका लाभांश अनुपात 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । जिन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर पिछले वर्ष की चारों तिमाहियों में 20 प्रतिशत से अधिक रहा हो, उनका लाभांश 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । लाभांश अनुपात की गणना वर्ष के दौरान निवल लाभ की तुलना में वर्ष में देय लाभांश की प्रतिशतता (लाभांश कर सहित) की जानी चाहिए ।

(iii) प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से देय होना चाहिए । यदि संबंधित अवधि के लाभ में कोई असामान्य लाभ आय सम्मिलित है तो लाभांश अनुपात की गणना ऐसी असामान्य मदों को निकाल कर की जानी चाहिए ताकि 33.3 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, के विवेकपूर्ण लाभांश अनुपात की अधिकतम सीमा के अनुपालन के अनुसार हो ।

(iv) जिस वर्ष के लिए प्राथमिक व्यापारी लाभांश की घोषणा कर रहे हैं उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा उस सुधार से मुक्त होने चाहिए जिससे उस वर्ष के लाभ पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो । इस प्रकार के सुधार होने पर लाभांश अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को समुचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए ।

(v) यदि किसी प्राथमिक व्यापारी के समक्ष कोई ऐसे विशेष कारण हों जिससे वह दिशानिर्देशों का पालन कड़ाई से न कर पा रहा हो तो, वह इस संबंध में दण्ड से छूट हेतु समय रहते भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकता है ।

(vi) लाभांश घोषित करनेवाले सभी प्राथमिक व्यापारियों को निर्धारित प्रोफार्मा में वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का ब्योरा दर्ज करना चाहिए । यह रिपोर्ट लाभांश के भुगतान से एक पखवाड़े के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए ।

13. कंपनी नियंत्रण पर दिशानिर्देश

प्राथमिक व्यापारी कंपनी नियंत्रण पर दिशानिर्देशों पर 8 मई 2007 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी/सीसी.94/03.10.042/2006-07 का पालन करें ।

14. धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का दायित्व

प्राथमिक व्यापारी 5 अप्रैल 2006 के परिपत्र डीएनबीएस (पीडी).सीसी.68/03.10.042/2005-06 का पालन करें ।

15. अनुदेशों का उल्लंघन

उक्त दिशानिर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्राथमिक व्यापारी द्वारा निष्पादित वचनपत्र की शर्तों (परिशिष्ट I) को गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसा उल्लंघन किए जाने पर रिजर्व बैंक द्वारा सही समझी जानेवाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें चलनिधि समर्थन वापस लिया जाना, मुद्रा बाजार तक पहुँच से इनकार, प्राथमिक व्यापारी के रूप में कारोबार करने के लिए प्राधिकार वापस लेना, तथा/अथवा मौद्रिक दंड अथवा निर्णीत हर्जाना शामिल होगा।

खण्ड II : विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारियों का कारोबार शुरू करनेवाले बैंकों पर लागू अतिरिक्त दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 2006-07 से विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार शुरू करने की अनुमति दी गई है।

2. बैंक पीडी के प्राधिकरण हेतु प्रक्रिया

2.1. प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए प्राथमिक व्यापारी हेतु आवेदन करने के लिए पात्र बैंक (कृपया ऊपर पैराग्राफ 1.3.1 क (iv) पर पात्रता शर्तें देखें) मुख्य महा प्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर-I विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई 400 005 से संपर्क करें। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात बैंक मुख्य महा प्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 23 वीं मजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई-400 001 को विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किए जाने हेतु आवेदन करें।

2.2. अपनी आंशिक/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार विलय करके / ग्रहण करके अथवा किसी समूह कंपनी द्वारा किए जा रहे प्राथमिक व्यापारी के कारोबार का विलय करके विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी के कार्य शुरू करने के इच्छुक अथवा भारत में कार्यरत विदेशी बैंक उसी अनुषंगी कंपनी / समूह द्वारा दिए गए वचनपत्र में, यथा प्रयोज्य, शर्तों के अधीन तब तक होंगे जब तक बैंक द्वारा नया वचनपत्र निष्पादित नहीं किया जाता।

2.3. प्राथमिक व्यापारी का कारोबार शुरू करने के लिए प्राधिकृत बैंक को वचनपत्र (परिशिष्ट-I) के निष्पादन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष (जुलाई- जून) के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक से स्थायी व्यवस्था करना अपेक्षित होगा।

3. प्राथमिक व्यापारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

3.1. बैंक पीडी ऊपर खण्ड I में दिए गए परिचालनगत दिशानिर्देशों, जैसे कि वे लागू हैं, के अधीन तब तक रहेंगे जब तक कि विशिष्ट रूप से निर्देश न दिए जाएँ। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ तथा खजाना बिल जारी करने के लिए प्राथमिक बाजार नीलामी, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी, सरकारी प्रतिभूतियों में सक्रिय गौण बैंकों द्वारा संतुलन करने तथा सरकारी प्रतिभूतियों की द्वितीयक बाजार में कुल बिक्री में बैंक-प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को इस मास्टर परिपत्र के खण्ड I में जारी दिशानिर्देशों के समान ही लागू होंगे।

3.2. प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआइ) तथा निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआइएमएमडीए) की सदस्यता लें तथा उनके द्वारा निर्धारित नियमों तथा प्रतिभूति बाजारों के हित में उनके द्वारा किए गए प्रयासों का पालन करें।

3.3. निवल मांग/भारतीय रिजर्व बैंक उधार और निवल स्वाधिकृत निधियों पर आधारित दैनिक रूप से सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में न्यूनतम निवेश सुनिश्चित करने की अपेक्षा बैंक-पीडी पर लागू नहीं होगी; यह बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होगी।

- 3.4. जैसा कि बैंकों की पहुँच भारतीय रिजर्व बैंक के माँग मुद्रा बाजार, पुर्नवित्त सुविधा और चलनिधि समायोजन सुविधा तक है, बैंक - पीडी को अलग से इन सुविधाओं और चलनिधि समर्थन की सुविधा नहीं होगी जैसी कि स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को उपलब्ध है।
- 3.5. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16 नवंबर 2006 के परिपत्र आंक्रप्रवि सं /2130/11.01.01 (डी) /2006-07 द्वारा जारी यदा जारी कारोबार के प्रयोजन हेतु बैंक प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक व्यापारियों के समान ही माना जाएगा ।
- 3.6 बैंक - पीडी माँग /नोटिस / मीयादी मुद्रा बाजार, अंतर कंपनी जमा, एफसीएन आर (बी) ऋण / बाह्य वाणिज्य उधार और निधि के अन्य स्रोतों में उधार के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होंगे।
- 3.7 बैंक की निवेश नीति प्राथमिक व्यापारिक गतिविधियों को भी शामिल करके यथोचित रूप से संशोधित की जाए। निवेश नीति की समग्र रूपरेखा में बैंक द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक व्यापारी कारोबार को सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन, हामीदारी और बाजार निर्माण तक सीमित रखा जाए । कंपनी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम /वित्तीय संस्थागत बांड, वाणिज्यिक पत्र ,ऋण मुच्युअल फंड और अन्य सावधि आयवाली प्रतिभूतियों को प्राथमिक व्यापारी कारोबार के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा ।
- 3.8. व्यापार के लिए "धारिता संविभाग" के मामले में बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए यथा लागू दिशानिर्देश प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए विशेषतः निर्धारित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के मामले में भी लागू होंगे।
- 3.9. प्राथमिक व्यापारी कारोबार के अधीन सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिल की गणना सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए की जाएगी।
- 3.10. बैंक - पीडी को जहां तक दलालों के माध्यम से कारोबार, तैयार वायदा लेनदेन, ब्याज दर डेरिवेटिव (काउंटर पर तथा विनिमय व्यापारीकृत डेरिवेटिव), गैर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, गौण ऋण लिखतों के निर्गम, लाभांश की घोषणा, पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन का संबंध है, के लिए बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों से निर्देशित होंगे ।

4. **बही और लेखा अनुरक्षण**

- 4.1. बैंक के विभागवार किए जानेवाले प्राथमिक व्यापारी कारोबार से संबंधित लेनदेन बैंक के विद्यमान सहायक सामान्य खाते(एसजीएल) के माध्यम से किए जाने चाहिए। तथापि ऐसे बैंकों को आवश्यक लेखा परीक्षा मदों का अनुसरण करते हुए प्राथमिक व्यापारी कारोबार से संबंधित लेनदेनों के लिए अलग से खाता बही रखना होगा । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में, किसी भी समय प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए निर्धारित न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियाँ शेष हों ।
- 4.2. बैंक - पीडी के शतप्रतिशत लेन-देन विनियामक विवरणियां प्राथमिक व्यापार विभाग द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करनी चाहिए । आधार पर प्राथमिक व्यापार बही में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति 100 करोड़ रुपये की निर्धारित न्यूनतम राशि जमा रखनी है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करने संबंधी लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को तत्पश्चात् आधार पर भेजा जाए ।

5. **पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन**

- 5.1. पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश विभागीय रूप से पीडी गतिविधियाँ शुरू करनेवाले बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार ही होंगे। दूसरे शब्दों में, बैंक की पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के अधीन संरक्षण में प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियों को भी शामिल किया जाए ।
- 5.2. बैंकों द्वारा प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियाँ प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों का अनुमान लगाने तथा उसका प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करें ।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण

6.1. परोक्ष पर्यवेक्षण :

प्राथमिक व्यापारी की गतिविधियाँ प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित आवधिक विवरणियां भारतीय रिज़र्व बैंक को अविलंब प्रस्तुत करें। उक्त विवरणियां और उनकी आवधिकता की वर्तमान सूची अनुबंध II "क" में प्रस्तुत है।

6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, आवश्यक समझे जानेपर उक्त दिशानिर्देशों में समय समय पर संशोधन अथवा आशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।